सात दिवसीय विशेष शिविर गाईड लाईन

ग. विशेष-शिविर

1. शिविर आयोजन अनिवार्य

विभागीय ज्ञाप क्रमांक 60/12/ई-5/20-78, दिनांक 15-5-78 का उद्धरण :-

3- विशेष शिविर कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना का अभिन्न अंग है। अतः रासेयो की प्रत्येक इकाई द्वारा वर्ष में एक बार विशेष शिविर का आयोजन करना अनिवार्य है।

2. शिविर मार्गदर्शिका तथा अनुवर्ती निर्देश

शिविर उद्देश्य

राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों का सर्वोत्तम उद्देश्य समूह जीवन व्यापक समाज-सेवा, श्रम के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय एकता के भीतर निहित है। शहर और गांवों के बीच आदान-प्रदान शिविरों के माध्यम से होता है।

छात्र शिविरों में न केवल विभिन्न जाति, धर्म भाषा और आचार विचार के बीच रहने और उच्चतर संस्कार ग्रहण करने का काम करते हैं वरन् उन्हें सार्वजनिक जीवन में मिलजुल कर रहने का एक अभ्यास भी मिलता है। मिश्रित समूहों में रह कर वे भारत की आत्मा के दर्शन कर सकते है। छात्र-छात्राएं इन शिविरों में बेहतर समझ और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तरफ बढ़े, यह शिविरों के कई उद्देश्यों में प्रमुख है।

नई पीढ़ी में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना भी अनिवार्य है। युवकों में श्रम के प्रति

उदासीनता को राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों ने काफी दूर तक तोड़ा है। ग्रामीण युवकों में सीधा और आत्मीय सम्पर्क छात्रों की श्रम में आम रुचि उत्पन्न कर सके यह योजना का उद्देश्य है। शिविरों के द्वारा हमारी उभरती पीढ़ी का व्यक्तित्व पूरी तरह से निर्मित हो, वह शरीर और मन की समस्त शक्तियों का विकास कर सके और उन्हें शिविरों में इसका भरपूर अवसर मिले, यही मूल विचार है। खेलकूद श्रमकार्य, मानवीय सेवा सांस्कृतिक कार्य, बौद्धिक-कार्य और दिनचर्याओं में स्वयं सेवा तथा समाज सेवा संतुलन राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों की उल्लेखनीय विशेषता है। भारत जैसे व्यापक और भौगोलिक रूप से जटिल देश में विकास और निर्माण की परियोजनाओं की जिम्मेदारी मात्र सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती। राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में छोटी-छोटी ऐसी परियोजनायें चलाई जाती हैं जो इन अंचलों के ग्रामीणजनों को तत्काल राहत दे सकें और उन्हें स्वयं उनकी कुंठाओं से मुक्त होने की प्रेरणा दे सकें। छात्र-छात्राएं और ग्रामीणजन स्वयं स्फूर्त, होकर शिविर क्षेत्र में स्फूर्तिदायक वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं और शताब्दियों की जड़ता को तोड़ने और पराजित रहने की प्रवृत्ति को समाप्त करके उन्हें नव निर्माण की योजना की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। नए भारत की रचना में राष्ट्रीय सेवा योजना को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है इसके अलावा जारी और स्वीकृत योजनाओं के कार्य में पूरे भावनात्मक लगाव से राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र अपना श्रमदान देने का अवसर प्राप्त करते रहें, यह भी शिविर के उद्देश्यों का हिस्सा है।

हम सभी जानते है कि युवा शक्ति रचनात्मक निर्माण की दिशा के लिए आकुल है। उसका सदुपयोग होना है अन्यथा यह विनाश की ओर, हिंसा और अपराध की ओर भटक सकती है। राष्ट्रीय सेवा योजना इस दृष्टि से एक अपूर्व तथा सोद्देश्य कार्यक्रम है। अकाल, बाढ़ और महामारी के विरुद्ध व्यवस्थित संघर्ष, टूट-फूट गावों का पुर्ननिर्माण और वहां पहुंच कर लोगों को अपना लेना, उनका विश्वास अर्जित करके उनके बीमार और उदास मन को भविष्य की आकांक्षाओं में भर देना भी हमारे शिविरों का उद्देश्य है। युवा-शक्ति इसी तरह से रचनात्मक दिशा की ओर अग्रसर होगी।

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य केवल श्रम या श्रम की शिक्षा देना नहीं है। उसका उद्देश्य समग्र शिक्षा है। अर्थात् श्रम के महत्व और उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन के साथ-साथ छात्रों का जिन्दगी के नये आयामों से साक्षात्कार कराना है।

शिविर के प्रकार

सामान्यतया शिविर दो प्रकार के होते हैं समाज सेवा शिविर एवं प्रशिक्षण शिविर, तालाब, सड़क कुआं, नहर, युवक सदन का निर्माण आदि कार्य समाज सेवा शिविर के अन्तर्गत आते हैं। साक्षरता अभियान, प्रथमोपचार प्रशिक्षण, नागरिक सुरक्षा आदि कार्य प्रशिक्षण शिविर में आते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत दोनों प्रकार के शिविर आयोजित होते हैं अथवा एक ही शिविर में दोनों प्रकार की परियोजनायें एक साथ भी चलती हैं।

छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त गैर छात्र युवक-युवतियाँ भी शिविरार्थी होते हैं। युवक-युवतियों को शिविरार्थी बनाकर उस गांव में उद्देश्यों को पूरा करने में सुविधा होती है।

अनुभवों के आधार पर अब यह बात कही जा सकती है कि छात्र छात्राओं के सह शिविर अपेक्षाकृत अधिक सफल सिद्ध होते हैं। ऐसे शिविरों में शिविरार्थी की कार्य क्षमता में वृद्धि दिखाई देती है। शिविर में विशेष प्रकार का आकर्षण रहता है और ग्रामवासियों का सहयोग एवं रुचि भी अपेक्षाकृत अधिक रहती है छात्राओं के कारण ग्रामीण महिलाओं की शिविर के प्रति आस्था बढ़ जाती है और शिविर के उद्देश्य की पूर्णता होती है।

शिविर पूर्व-व्यवस्था

(क) शिविरार्थियों का चयन

शिविरार्थियों का चयन ही शिविर की सफलता की पृष्ठभूमि है। चयन करते समय हम परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में शिविरार्थी की कार्य क्षमता कलात्मक प्रतिभा, अनुभव रासेयो की नियमित गतिविधियों में योगदान उसके आचार विचार और रुचि आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेते हैं। जिन छात्रों का चयन किया जाय, उनसे एक घोषणा-पत्र भराना आवश्यक है।
(देखें परिशिष्ट-4ब)

(ख) शिविर स्थल का चुनाव :-

शिविर स्थल का चुनाव करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस कार्य में हमारी जरासी भूल हमारे समस्त प्रयत्नों को निस्सार बना देती है। मुख्य स्मरणीय बातें हैं:-

1. यदि तम्बुओं में शिविर आयोजित होने वाला है तो ध्यान रखना चाहिए कि शिविर स्थल गांव से थोड़ा दूर खुले स्थान में हो।
2. शिविर स्थल गांव के मार्ग या सम्पर्क मार्ग को अवरुद्ध न करे।
3. शिविर स्थल के समीप पीने एवं नहाने धोने के पानी की व्यवस्था हो।
4. यहां आसानी से ईंधन मिल सकें।
5. दूध, सब्जी-भाजी आदि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं या तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों या समीप से ही उनकी व्यवस्था हो सके।
6. शिविर स्थल भीड़-भाड़ वाले स्थान से दूर हो। अर्थात् लोगों के आनेजाने या खिरका, बाजार आदि जैसे स्थल से दूर हो ताकि शांति पूर्ण कार्य हो सके।

7. शिविर स्थल परियोजना कार्य के समीप हो ताकि अनावश्यक समय एवं शक्ति का अपव्यय न हो।
8. मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला सम्पर्क समीप हो ताकि शिविर सामग्री का आसानी से लाना ले जाना संभव हो सके।
9. प्रयत्न किया जाय कि शिविर स्थल पहाड़ी के किनारे या वृक्षों के आस-पास आयोजित हो ताकि प्राकृतिक सुषमा का शिविरार्थी आनन्द ले सकें।

(ग) परियोजनाओं का चुनाव

परियोजनाओं का चुनाव करते समय मुख्य रूप से 5 बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शिविर हेतु उपलब्ध धनराशि, शिविरार्थियों की संख्या, शिविरकाल, शिविरार्थियों की परियोजना, संबंधी कार्य-क्षमता, स्थानीय आवश्यकता तथा स्थानीय और शासकीय/अशासकीय संस्थाओं का सहयोग। इन बातों को ध्यान में रखकर अनेक परियोजनाओं पर विचार विमर्श कर ही स्वीकृत परियोजना को अन्तिम रूप देना चाहिए।

सामान्य परियोजना का विकल्प तैयार रखना भी आवश्यक है ताकि पहली परियोजना समय पूर्व समाप्त हो जाने पर तुरन्त दूसरा कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। या पहली परियोजना में कोई बाधा आ जाने पर तुरन्त दूसरा कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय।

ऐसी विवादग्रस्त परियोजना का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए जिससे सामूहिक लाभ की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ हो, या उक्त योजना के ग्रहण करने से किसी प्रकार की कानूनी या साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न होने की आशंका हो। वास्तव में उसी परियोजना को अपनाना चाहिए जिसके पीछे ग्राम के अधिकाधिक लोगों की स्वीकृति, लाभ एवं रुचि हो तथा जिसमें सभी श्रेणी एवं वर्ग के छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त हो सके। जहां तक हो सके ऐसी परियोजना का चुनाव नहीं करना चाहिए। जिसमें विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो अथवा जो हमारी सीमाओं और साधनों के बाहर हो। अपूर्ण स्थिति में कार्य छोड़कर वापिस आने से हमारी छवि तो बिगड़ती ही है साथ ही शिविरार्थियों को भी वह संतोष सुख नहीं मिलता जो समय शक्ति एवं धन के व्यय के बाद मिलना चाहिए।

शिविरार्थियों, शिविर-स्थल एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का चयन हो जाने के पश्चात् प्रस्तावित शिविर की जानकारी संबंधित को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-15) पर भी कर शिविर प्रारम्भ होने से काफी समय पूर्व में ही भेज दी जाना चाहिए।

(घ) समितियों का गठन

शिविर की सफलता के लिए आवश्यक है कि शिविर संबंधी समस्त दायित्व हम विभिन्न छात्रों या छात्र-समूहों में विभाजित कर दें। प्रजातांत्रिक भावना के विकास की दृष्टि से भी यह

पद्धति आवश्यक है इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन करना उचित होगा। जो मुख्य रूप से इस प्रकार होगी।

परियोजना समिति

आवास-समिति

कार्यक्रम-समिति (सांस्कृतिक, बौद्धिक, क्रीड़ा, उद्घाटन, समापन, समय-सारणी आदि)।

उपकरण समिति

भोजन एवं भोजनग्रह -समिति

स्वास्थ्य एवं सफाई समिति

प्रकाश एवं सफाई समिति

प्रकाश एवं पानी-समिति

यातायात - समिति

जनसम्पर्क, रिपोर्टिंग सूचना प्रकाशन समिति

वित्त समिति

मूल्यांकन समिति

समन्वयक समिति

उक्त समितियों के संयोजक छात्र हों। इनमें ग्रामीण क्षेत्र (शिविर स्थान) का प्रतिनिधित्व भी रहे जिससे परियोजनाओं के कार्य संचालन में ग्रामीण जन का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके। प्रत्येक समिति को अपने-अपने अधिकार कर्तव्य एवं कार्य सीमाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। समन्वय समिति में सभी समितियों के संयोजक रहें।

(ङ) शासकीय अशासकीय संस्थाओं से सहयोग

शिविर पूर्व की तैयारियों में यह भी आवश्यक है कि हम शिविर स्थल एवं परियोजना से संबंधित सहयोग प्राप्त करने क्षेत्र की भिन्न-भिन्न समाज-सेवी संस्थाओं एवं शासकीय विभागाध्यक्षों से भी संपर्क साधकर अपेक्षित सहयोग के लिए उन्हें पूरी तरह तैयार कर लें।

(च) शिविरार्थियों का दिशा-निर्देश

शिविर काल आरम्भ होने के पूर्व ही समस्त शिविरार्थियों को शिविर स्थल परियोजनाओं, उनके दायित्व आदि की पूरी जानकारी दे देना चाहिए। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा दिये जाने वाले सुझावों, उनकी कठिनाइयों आदि को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए।

(छ) नायकों की घोषणा

राष्ट्रीय सेवा योजना का एक उद्देश्य नेतृत्व का निर्माण करना भी है। इस दृष्टि से आवास-नायक दल-नायक, की घोषणा की जाती है।

आवास की व्यवस्था तम्बू/कक्ष मे की गयी है। अतः उचित होगा कि प्रत्येक तम्बू/कक्ष का एक नायक जिस पर उस तम्बू/कक्ष मे रहने वाले शिविरार्थियों की आवास व्यवस्था का दायित्व हो।

(ज) दलों का गठन

संपूर्ण शिविरार्थियों को 8-8 या 10-10 के दलों मे विभाजित कर परियोजनाओं मे दलवार प्रयुक्त करना सुविधाजनक होता है। प्रत्येक दल का एक नायक हो जो अपने दल के छात्रों को विभिन्न कार्यक्रमों मे संलग्न रखे।

(झ) शिविर नायक की घोषणा

सम्पूर्ण शिविर का एक नायक भी हो जो शिविर संगठक की अनुपस्थिति में "प्रभारी शिविर" का दायित्व निर्वाह कर सके।

सामान्यतः दल-नायक वे ही हों जिसमें संगठनात्मक कौशल हो एवं वे व्यक्तिगत राग द्वेष से परे कर्तव्यनिर्वाह में सक्षम हो। उनमें नेतृत्व के गुण हों तथा सम्पूर्ण शिविर काल में छात्रों के बीच अपने गुणों के कारण आकर्षण एवं प्रेरणा के केन्द्र रहें।

शिविरारम्भ

(क) शिविर आरम्भ होने के एक दिन पूर्व भेजे जाने वाले अग्रिम दल का दायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दल मे 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक शिविरार्थी हो सकते है। अग्रिम दल का दायित्व है कि वह आवास व्यवस्था, चौहद्दी निर्माण, सूचना पट्ट, भोजन-गृह, मार्गदर्शन, पट्टियाँ, प्रवेश कूड़ादान, स्टोररूम तथा विभिन्न स्थलों का निर्माण करें तथा जो परियोजनाएं चलाई जाने वाली हों उन्हें चिन्हांकित करें।

इसके अतिरिक्त अग्रिम दल के सदस्य प्रमुखग्रामीणजनों, युवकों, युवतियों पंचायत सदस्यों एवं स्थानीय शासकीय/अशासकीय संस्थाओं से सम्पर्क साधकर परियोजना के बारे में उनसे संबंधी विविध जानकारी देकर पृष्ठभूमि तैयार करते हैं शिविर स्थल पर अपेक्षित ग्रामीण सहयोग की भूमिका यही अग्रिम दल तैयार करता है।

(ख) शिविरार्थियों का प्रस्थान

शिविर की ओर कूच के कुछ समय पूर्व पुनः शिविरार्थियों को विशिष्ट निर्देश देना आवश्यक हो जाता है।

(ग) शिविर-स्थल पर पहुंचकर

1. शिविर स्थल पर पहुंचते ही योजना के अनुसार शिविरार्थियों की आवास व्यवस्था सर्वप्रथम कार्य है। भावात्मक समन्वयक समन्वय के उद्देश्य से तम्बू या कक्षवार शिविरार्थियों का विभाजन इस दृष्टि से किया जा सकता है। कि एक स्थान में एक ही महाविद्यालय/कक्ष के छात्र न हो अपितु दूसरी कक्षाओं के छात्र भी हों। यदि शिविर विश्वविद्यालय या राज्य स्तरीय है तो एक ही तम्बू में महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के छात्र न होकर विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र हों।

2. शिविर व्यवस्था के लिए निम्नांकित पंजियों का रखा जाना आवश्यक है।

(क) पंजीयन एवं उपस्थिति

(ख) दैनिक विवरण

(ग) परियोजना

(घ) लेखा

(च) आगन्तुक सम्मति

(छ) शिविर सामग्री

3. शिविर की दिनचर्या का प्रदर्शन प्रारम्भ में ही किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक शिविरार्थी शिविर में प्रवेश करते ही उससे अवगत हो जाये तथा स्वयं को तदनुसार तैयार कर ले। (परिशिष्ट-9ब)

4. शिविरान्तर्गत दैनिक कार्यकलापों तथा विविध दायित्वों की दल-बार-सारणी का प्रदर्शन (परिशिष्ट-5 ब एवं 6 ब) प्रारम्भ में ही अपेक्षित है। इन दायित्वों में भोजनव्यवस्था, पानी भरना स्वच्छता, सुरक्षा आदि सम्मिलित है। दायित्वों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक दल को प्रत्येक कार्य का अनुभव हो जाये।

5. उक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त प्रथम दिन शिविरार्थियों द्वारा शिविर स्थल, तम्बुओं एवं कक्षों की सफाई तम्बुओं/कक्षों के पीछे कूड़ा फेकने के गड्ढों का निर्माण तथा यथा आवश्यक साज-सज्जा की जानी चाहिए।

6. शिविर का विधिवत् प्रारम्भ औपचारिक उद्घाटन द्वारा किया जाता है। यह समारोह पूर्ण उत्साह किन्तु सादगी के साथ मनाया जाना चाहिए तथा यह उत्साह आगामी शिविर जीवन में बना रहना चाहिए।

शिविर की नियमित गतिविधियाँ

(क) प्रार्थना, व्यायाम, दैनिक कार्य-वितरण एवं सूचनाएं

शिविरार्थियों का दिन जागरण गीतों से आरम्भ होता है। जागरण का समय ऋतु के अनुसार 5 से 6 बजे प्रातः तक निश्चित किया जा सकता है। जागरण के बाद प्रातः कालीन क्रियाओं से निवृत होकर शिविरार्थी दल के अनुसार पंक्ति बद्ध होकर प्रार्थना एवं व्यायाम हेतु निश्चित समय पर उपस्थित होते हैं।

(ख) परियोजना कार्य

प्रातः कालीन स्वल्पाहार हेतु अन्तराल के बाद शिविरार्थी पूर्ववत् पंक्ति बद्ध होते हैं। उसी समय शिविरार्थियों को उस दिन के दायित्वों के संबंध में निर्देश तथा आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं। शिविरार्थी तत्पश्चात् परियोजना कार्य हेतु प्रस्थान करते हैं।

परियोजनाएं एकाधिक होने पर विभिन्न दलों का नित्य का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया जाता है ताकि प्रत्येक दल को सभी परियोजनाओं में काम करने तथा अनुभव अर्जित करने का अवसर मिल सकें।

(ग) भोजन व्यवस्था

भोजन व्यवस्था विभाग का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। भोजन व्यवस्था में असंतोष व्यापक रूप धारण कर सम्पूर्ण शिविर की गतिविधियों में शैथिल्य उत्पन्न कर सकता है। अतः भोजन की वस्तुओं का निर्धारण तथा वितरण सावधानी और शिविरार्थियों के सहयोग से ही होना चाहिए। भोजन की वस्तुएं अधिक मूल्यवान न हों किन्तु स्वच्छ, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक अवश्य हों। भोजन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एवं शाकाहारी हों। भोजन परोसने में भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि भोजन स्थल स्वच्छ हो तथा परोसते समय सभी को समान रुप से वस्तुएं प्राप्त होती रहे। रसोईघर की स्वच्छता खाना पकाने के बर्तनों की सफाई अनाज और सब्जियों को पकने से पूर्व सफाई आदि के प्रति तनिक भी लापरवाही रोगों को जन्म दे सकती है। रसोई घर में सदैव प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, विशेषकर रात्रि में और ऐसे समय में भी जब कीड़ों की अधिकता की आशंका हो। भोजनोपरान्त हाथ धोने आदि के स्थल का निर्माण इस ढंग का होना चाहिए कि गंदगी वहां स्थिर न रह सकें तथा पानी रुककर कीचड़ पैदा न करें। पीने का पानी पूर्ण स्वच्छता के साथ रखा जाय तथा खाने की सभी वस्तुएं ढककर रखी जाएं।

(घ) बौद्धिक-कार्यक्रम

बौद्धिक-कार्यक्रम का आयोजन भी दैनिक कार्यक्रम में समाहित होता है। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों तथा उससे सम्बद्ध विषयों पर व पारस्परिक चर्चा है। इसके माध्यम से शिविरार्थियों के समक्ष रासेयो का स्वरूप योजना से सम्बद्ध कठिनाईयां एवं समस्याएं सामने आती है तथा समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किये जाते है। इस विषय में निम्नांकित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं :

1. बौद्धिक कार्यक्रमों का संयोजन एवं संचालन छात्र ''शिविरार्थियों द्वारा ही किया जाना चाहिए ताकि उनकी क्षमताओं का विकास हो। संयोजन स्थानीय ग्रामीण युवक को सौंपा जा सकता है।

2. चर्चा के विषयों का चयन पूर्व में ही कर लिया जाय तथा पर्याप्त समय पूर्व उनकी घोषणा कर दी जाये ताकि शिविरार्थियों को चिन्तन के लिए अपेक्षित समय मिल सके।

3. बौद्धिक कार्यक्रमों में स्थानीय ग्रामीण युवकों को आमंत्रित किया जाय ताकि वे रासेयो के स्वरूप से परिचित हो सके तथा प्रोत्साहित हो सकें।

4. शिविरार्थियों द्वारा परस्पर चर्चा के अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को भाषण हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।

(च) खेलकूद

संध्या के समय हमारे नित्य जीवन की तरह शिविर में भी खेलकूद का समय रहता है किन्तु नगर में रहकर यदि हम बैडमिन्टन, टेनिस खेलते हैं तो शिविर में ग्रामीण वातावरण के अनुकूल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सम्भाव्य खेलों का आयोजन करते है। ग्रामीण युवकों के साथ आत्मीयता विकसित करने के लिए यह आवश्यक भी है कि उनके खेलों में ही रुचि ली जाये तथा उनके लिए सम्भव कुछ नये खेल उन्हें सिखाये जाये। ऐसे खेल कबड्डी, चोर सिपाही, कोड़ा, जामासाही खोखो, बालीबाल आदि हो सकते है।खेलकूद परस्पर स्नेहभाव और भावात्मक एकता विकसित करने का अच्छा माध्यम होता है खेलकूद का संयोजन भी किसी छात्र शिविरार्थी तथा सह-संयोजन भी किसी स्थानीय ग्रामीण युवक द्वारा हो।

(छ) सांस्कृतिक कार्यक्रम

दिनभर की शारीरिक और बौद्धिक सक्रियता के बाद रात्रि कालीन भोजनोपरान्त शिविरस्थल शिविरार्थियों के कण्ठस्वर और वाद्ययंत्रों की ध्वनि से गूंज उठता है। राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र-छात्राओं को जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंध रखती है तथा संगीत और अभिनय से भी उसे अछूता नहीं रखती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में निम्नांकित बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए :

1. कार्यक्रम का संयोजन एवं सह-संयोजन अन्य कार्यक्रमों की भांति क्रमशः छात्र शिविरार्थी एवं स्थानीय ग्रामीण युवा द्वारा किया जाये।

2. छात्र-छात्रा शिविरार्थी गायन, वादन, लोकनृत्य, अभिनय, आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। शिविर में ग्राम के स्थानीय लोक कलाकारों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाना इस सन्दर्भ में प्रासंगिक होगा। शिविरार्थी स्थानीय कलाकारों के साथ मिल कर कार्यक्रम का नियोजन एवं प्रस्तुति करें।

3. उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त शासकीय और अशासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

4. सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विषयों में एक बात अनिवार्य रूप से ध्यान में रखनी होगी कि वे अपने नाम को सार्थक करने वाले हों, आदर्श स्थापित करने वाले हों तथा स्थानीय लोक जीवन और कला के परिक्षेत्र में हो। अश्लील, भोडे और भद्दे कार्यक्रमों को मंच पर लाना शिविर की छवि को धूमिल करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदर्शन के पूर्व कार्यक्रमों का अवलोकन कर लिया जाय।

(ज) सुरक्षा - दल

शिविर में 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था भी छात्र शिविरार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है। यह कार्य सभी शिविरार्थियों को बारी-बारी से करना होता है। सुरक्षा दल के सामान्यतः निम्नांकित कार्य होते हैं :-

1. कोई अनाधिकृत या अवांछनीय व्यक्ति शिविर-स्थल में प्रवेश न करें।

2. कोई शिविरार्थी निषिद्ध वस्तुएं शिविर में न लायें।

3. शयनकाल में कोई शिविरार्थी शिविर-स्थल से बाहर न जाये।

4. यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य हो तो उसे अपनी दैनन्दिनी में अंकित करें तथा आवश्यक होने पर तत्काल अधिकारियों को सूचना दें।

(झ) समापन एवं अन्तिम दिवस

शिविर का अन्तिम दिन भी पूरे उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया जाना चाहिए। दैनिक कार्यक्रमों के समय सीमा में पूर्ण करते हुए एवं समापन समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। इस समारोह के आयोजन में निम्न बातें आवश्यक हैं :-

1. इस आयोजन में स्थानीय -ग्रामीण जनों को अवश्य निमंत्रित किया जाना चाहिए। ताकि उनके सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया जा सके तथा रासेयो शिविरार्थियों द्वारा किये गये कार्यों के प्रति उनके विचार ज्ञात हो सकें।

2. शिविर आयोजन में जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हुआ हो, उनको भी इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहिए।

3. इस अवसर पर सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करना आवश्यक और पुनीत कर्तव्य है।

4. समापन रात्रि में विदा से पूर्व ''कैम्प-फायर'' का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे सभी शिविरार्थी सोल्लास, उन्मुक्त, स्नेहभाव से एकत्र हों, विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करें और मधुर स्मृतियों के साथ शिविर समाप्त हो।

वापसी के पूर्व

शिविर समाप्ति तथा शिविर से वापसी के पूर्व कुछ कार्यों को कर लेना आवश्यक होता है अन्यथा बाद में उलझनें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे काम निम्नानुसार हैं :-

(क) शिविर से प्रस्थान करने से पूर्व सभी सामग्री की जांच कर लेना आवश्यक है ताकि कमी होने पर वहां उसकी खोज की जा सके।

(ख) शिविर में उपयोग हेतु ग्रामीणों से प्राप्त सामग्री को जाने से पूर्व लौटा देना और भी आवश्यक है अन्यथा एक छोटी सी असावधानी पूरे शिविर के महत्व को कलंकित कर सकती है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र से कोई वस्तु खरीदी गयी हो और भुगतान तत्काल न किया गया हो तो जाने से पूर्व उसका भुगतान अवश्य हो जाना चाहिए।

(घ) शिविर अवधि में शिविरार्थियों की अनेक वस्तुएं असावधानीवश इधर से उधर हो जाती हैं। ऐसी गुमी-मिली वस्तुओं के विषय में अधिकारी नित्य प्रातः सूचना देते हैं। तथा अन्तिम दिन ऐसी सभी वस्तुओं की सूची की पुनः घोषणा की जाती है ताकि वस्तुएं अपने स्वामियों के पास पहुंच जायें।

(ङ) इस बात को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि जाने से पूर्व सम्पूर्ण शिविर स्थल की सफाई की जाये तथा उसे अपनी पूर्वस्थिति में ला दिया जाय। यदि शिविर स्थल को गंदा छोड़ दिया जाये तो राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रों की जो छवि शिविर अवधि में बनी होगी उसके धूमिल होने की आशंका होगी। अतः इस दिशा में सावधानी परम आवश्यक है।

शिविर के उपरान्त

बहुधा शिविर समाप्त होते ही ऐसा मान लिया जाता है कि अब कोई विशेष कार्य शेष नहीं रहा परन्तु ऐसी बात है वास्तव में शिविरोपरान्त दायित्व और भी बढ़ जाते हैं इनमें कुछ दायित्व तो शिविर संबंधी ही रहते हैं और कुछ भविष्य के कार्यक्रमों से संबंधित होते हैं।

शिविर समापन के बाद शिविर संबंधी कुछ आवश्यकताएं तत्काल पूरी करना पड़ती है, जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं :

(क) शिविर समाचारों का प्रकाशन

जन जागरण की दृष्टि से प्रचार-प्रसार का अपना अलग महत्व होता है। शिविर काल में हमारा शारीरिक एवं बौद्धिक योगदान क्या रहा, शिविर की उपलब्धियां क्या-क्या है, उसके प्रकाशन की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है, ये प्रकाशन समाचार पत्रों पत्रिकाओं तथा रेडियो के माध्यम से प्रसारित किये जावे। शिविरकालीन प्रमुख घटनाओं एवं मार्मिक प्रसंगों का प्रकाशन जहां एक और जनसाधारण को हमारी योजनाओं के प्रति आकर्षित करता है वहीं हमारे शिविरार्थियों का हौसला भी बुलंद करता है।

(ख) शिविर- प्रतिवेदन

शिविर, समापन के बाद शिविर संबंधी प्रतिवेदन तैयार करना आवश्यक है। प्रतिवेदन में निम्न बातों का उल्लेख अपेक्षित है :-

शिविर काल शिविरार्थियों की संख्या (छात्र-छात्राएं, ग्रामीण युवक युवतियां) शिविर व्यय परियोजनाएं उपलब्धियां, विभिन्न शासकीय अशासकीय क्षेत्रों से सहयोग प्रमुख समस्याएं तथा सुझाव। उपरोक्त शीर्षकों के अन्तर्गत प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयास प्रारम्भ करना चाहिए ताकि हम अपने अभीष्ट को पा सके।

(परिशिष्ट-3ब)

(ग) शिविर का व्यय ब्यौरा

नियमानुसार शिविर का व्यय ब्यौरा शिविर समाप्त होने से 10 दिन भीतर प्रस्तुत करना पड़ता है। ऐसा न करने से महाविद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही प्रयत्न किया जाना चाहिए कि आवंटित राशि के भीतर कार्य सम्पन्न हो। व्यय-ब्यौरे के साथ नियमानुसार बिल, वाउचर होना अनिवार्य है। निर्धारित प्रपत्र में व्यय-ब्यौरे बनाकर अधिकारियों के समक्ष समय पर प्रस्तुत कर देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि व्यय निर्धारित राशि-विभाजन के अनुसार ही हो।

(घ) परियोजना का मूल्यांकन

शिविर - काल में जो भी परियोजनाएं हाथ में ली जाती है उनका मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि हमें यह मालूम हो जाय कि हमने शिविर काल में जो धन, मानवशक्ति एव समय व्यतीत किया है, उसके अनुसार फल की कितनी प्राप्ति हुई? श्रम-कार्य संबंधी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए परिशिष्ट-11 ब अन्त में संलग्न है जिसके अनुसार ही निर्धारित तालिका भरनी है। गैर श्रम संबंधी कार्यों का मूल्यांकन भौतिक दृष्टि से नहीं हो सकता। परन्तु मूल्यांकन प्रपत्र में शिविरार्थियों द्वारा किये गये कार्यों एवं उपलब्धिओं का उल्लेख आवश्यक है जिससे लाभान्वित व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हो सके।

(ङ) सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन

शिविरोपरान्त कुछ औपचारिकताएं भी पूर्ण करना होती हैं। इनमें प्रमुख हैं उन सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करना जिन्होंने शिविर-काल में हमें अपना सहयोग प्रदान किया।

इस अवसर पर पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए। कभी-कभी भूल से यदि कोई सहयोगी व्यक्ति इस औपचारिकता से वंचित रह जाता है तो भविष्य में इसकी प्रतिक्रिया देखने में आती है।

(च) शेष कार्य

शिविर से छात्र-छात्राएं जहां उत्साह एवं भविष्य में कुछ कर गुजरने का हौंसला लेकर लौटते है वहीं ग्रामवासी कुछ अपेक्षाएं संजोए इसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। इन दोनों बिन्दुओं में तालमेल रखना शिविर-संगठन का दायित्व है। अतः वह अवशिष्ट परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम निश्चित कर छात्रों के बढ़े हुए उत्साह का उपयोग करें उनका उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे एवं समस्याओं के समाधान में प्रतीक्षारत् ग्रामवासियों को अपने प्रयत्न से संतुष्ट करें।

(8) शिविर संगठक के लिए आवश्यक निर्देश

संगठक शिविर का प्रधान होता है एवं अंतिम रूप से सभी दायित्व उस पर आते हैं। इसीलिए शिविर संगठक को सदैव सचेष्ट एवं व्यवहारिक बने रहना पड़ता है। सारांश में शिविर संगठक को निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए :-

(1) शिविर-संगठक को सदैव ही सतर्क, व्यवहारिक, निष्पक्ष, हंसमुख और मृदुभाषी होना आवश्यक है।

(2) शिविरार्थियों के सुझावों, आलोचनाओं का सदैव स्वागत करना चाहिए।

(3) सदा ही प्रजातांत्रिक भावना से कार्य सम्पन्न कराने की चेष्टा करना चाहिए। अधिकार एवं कर्तव्य विकेन्द्रित हो।

(4) किसी प्रकार की त्रुटि होने पर शिविरार्थी को सबके सामने भला बुरा न कहा जाये। एकांत में ले जाकर समझाना ही उचित है।

(5) अनावश्यक रूप से शिविरार्थियों को यहां वहां नहीं दौड़ाना चाहिए जिसे जो दायित्व सौंपा गया है उसी में लगा रहने देना चाहिए।

(6) जहां तक संभव हो कोई भी कार्यक्रम न तो टाला जाये और न स्थगित किया जाय। ऐसा करने से गलत परम्पराएं जन्म लेती हैं।

(7) प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा आंधी आदि का सामना करने के लिए सदैव तैयार करना चाहिए।

(8) शिविर संगठक को सदैव ही शिविरार्थियों के भोजन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विश्राम का पूरा ध्यान रखना होता है।

(9) यथा-संभव विवाद को टालें एवं विवाद की स्थिति में निष्पक्ष निर्णय लें।

(10) शिविर संगठक, शिविर की सफलता के लिए ग्रामीणजनों से आत्मीय संबंध बनाये रखें।

3. शिविरार्थियों को निर्देश

1. शिविर में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होगा। समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का भी पूर्ण पालन करना होगा।

2. शिविर अधिकारियों की अनुमित बिना शिविरार्थी परिसर से बाहर नहीं जा सकेगा।

3. यद्यपि शिविरार्थियों को वैचारिक स्वतंत्रता होगी तथापि शिविर व्यवस्था में त्रुटि अथवा और कोई समस्या शिकायत टोली नायक के माध्यम से की जा सकेगी।

4. शिविर में कीमती घड़ी, अलंकार, रेडियो, ट्रान्जिस्टर, कैमरा आदि शिविरार्थी अपने साथ नहीं लायेंगे।

5. शिविर के दौरान झगड़ा आलोचना तथा अशोभनीय मजाक आदि नहीं करेंगे जिससे अप्रिय या अप्रत्याशित घटना घट सकती है।

6. उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7. शिविर में जाते समय साथ लेजाने वाले समान की सूची :-

बिस्तर :- दरी, गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल, रजाई आदि आवश्यकतानुसार।
कपड़े :- प्रोजेक्ट कार्य हेतु कपड़े (नेकर/स्कर्ट, हाफशर्ट यदि संभव हो)
पी० टी०:- पी० टी० शू (छात्रों हेतु)
प्रसाधन :- तेल, कंघी, शीशा, साबुन, टूथ ब्रश इत्यादि।
बर्तन :- एक फुल प्लेट, कटोरी, मग्गा इत्यादि।
एक नोट बुक, पेन्सिल एवं टार्च।

नोट :- शिविर में केवल आवश्यकतानुसार सामान ही लाया जाय।

4. मूल्यांकन - ज्ञाप क्रमांक 401/रासेयो-20/77 दिनांक 25-8-77 के संलग्न समस्त रासेयो कार्यक्रम समन्वयकों को भेजे गये कार्यक्रम समन्वयकों की बैठक दिनांक 12 से 14-7-77 के कार्य विवरण का उद्धरण :-

प्रस्ताव क्रमांक-5 - समस्त इकाईयां शिविर आयोजन सम्बन्धित जानकारी 15 दिन पूर्व राज्य शासन, भारत सरकार के क्षेत्रीय रासेयो कार्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई तथा विश्वविद्यालय को देंगे, और विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तिथियों की पुष्टी हो जाने के बाद ही शिविर आयोजित करेंगे।

सूचना क्रमांक 60/17/ई-5/20-78 दिनांक 6-8-79 के अन्तर्गत जारी किये गये राज्य सलाहाकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का उद्धरण :-

कार्य सूची क्रमांक - 5

(परिशिष्ट 4 ब)

4 ब शिविरार्थियों और अभिभावकों का घोषणा-पत्र

विद्यार्थियों के लिए घोषणा-पत्र

..............................शिविर .... स्थान ...... तहसील ...... जिला .... दिनांक .... से .... तक

शिविर में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए घोषणा-पत्र

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम ....
2. पिता/अभिभावक का पूरा नाम ....
3. जन्म तिथि अंकों में .... शब्दों में..............................
4. कक्षा .... वर्ग..............................
5. शिविर कार्य का पूर्व अनुभव ....
6. स्थानीय पता ....
7. स्थायी पता ....

विशेषः-

1. मैने शिविर के निर्देशों का अध्ययन भली भाँति कर लिया है तथा मैं इनके पूर्ण पालन हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. निर्देशों का उल्लघन करने पर अधिकारियों द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार होगी।
3. शिविर में भाग लेने की अनुमति मैने अपने पिता/अभिभावक से प्राप्त कर ली है।

....

छात्रा/छात्रा के पूर्ण हस्ता.

मैं अपने पुत्री/पुत्र .... को शिविर में भाग लेने की अनुमति देता हूँ।

....

पिता अभिभावक के हस्ता.

मैने छात्र/छात्रा द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी का परीक्षण कर लिया जिसके आधार पर शिविर में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

....

प्राचार्य के हस्ता. एवं मुहर

....

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ता. एवं मुहर

(परिशिष्ट3 ब)

3 ब - शिविरोपरान्त भेजा जाने वाला प्रपत्र

महाविद्यालय का नाम...

शिविर अवधि दि. से तक	शिविर स्थल	आवंटित छात्र संख्या	विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुदान	वास्तविक व्यय	शिविरार्थियों की संख्या			
					छात्र	गैर छात्र	शिक्षक	योग
					पु. म.	पु. म.	पु. म.	पु. म.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

महायोग पु. म.	शिविर में सम्पादित कार्य एवं उपलब्धियाँ (जहां आंकड़े दर्शाये जा सकते हो उसे अवश्य दर्शाया जाय)	अन्य
10	11	12

टिप्पणी :- महाविद्यालयो द्वारा इस प्रपत्र पर संपूर्ण जानकारी भरकर समाप्ति से 10 दिन के भीतर संबंधित विश्वविद्यालय को भेजते हुए राज्य शासन तथा भारत सरकार के प्रान्तीय कार्यालय, भोपाल को पृष्ठांकित की जावे। विश्वविद्यालयों द्वारा इसी प्रपत्र पर महाविद्यालय वार जानकारी संकलित की जावे और राज्य शासन तथा भारत सरकार के प्रान्तीय कार्यालय, भोपाल को भेजी जावे।

हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी

हस्ताक्षर प्राचार्य